	उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 **(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)** **शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार** **14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001**

संख्या : 4834–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2012–11–मा0सं0–01/2002 (टीसी–2) दिनांक :20 दिसम्बर, 2012

फैक्स/पंजीकृत

1– मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II),
ओबरा/अनपरा/हरदुआगंज/पनकी/पारीछा तापीय विद्युत परियोजना,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
ओबरा (सोनभद्र)/अनपरा (सोनभद्र)/कासिमपुर (अलीगढ़)/
पनकी (कानपुर)/पारीछा (झॉसी)।

2– मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II),
कारपोरेट स्ट्रेटजी/पी0पी0एम0एम0/ईधन/तापीय परिचालन/
वाणिज्य/आर एण्ड एम/जानप्रद/पर्यावरण एवं सुरक्षा/टाण्डा वाइन्डिंग सेल/
अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

विषय :– कार्मिकों द्वारा प्रतिवर्ष नियमित रूप से चल/अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निगम (मु0) के आदेश सं0 6031–मा0सं0–02/2012 दिनांक 29.09.2012 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त आदेशों के अनुसार उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में कार्यरत अधिकारियों/अधिकारिकों द्वारा अपनी (पति/पत्नी या नाबालिग बच्चों के नाम दर्ज सम्पत्ति सम्मिलित करते हुए) चल/अचल सम्पत्ति, उसके प्राप्त होने की तिथि, उसका माध्यम, अनुमानित लागत, आय का स्रोत आदि का विवरण अपनी प्रथम नियुक्ति एवं उसके पश्चात् प्रतिवर्ष (01 जनवरी से 30 जनवरी के बीच) अपने नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत किये जायेंगे।

इस सम्बन्ध में कृपया अपने नियंत्रणाधीन सभी कार्मिकों को कड़े निर्देश दे दें कि यदि उक्त सम्पत्ति विवरण अभी भी उपलब्ध न कराये हों तो वे प्रत्येक दशा में अपनी चल/अचल सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण निगम में प्रचलित प्रारूपानुसार 30 जनवरी, 2013 तक निगम मुख्यालय में उपलब्ध करा दें अन्यथा उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 के नियम–24(3) के प्राविधानों के उल्लंघन करने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जायेगी, जिसके वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। चल/अचल परिसम्पत्ति विवरण पत्र का प्रारूप उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। उपर्युक्त अधिकारीगण अपने अधीनस्थ कार्मिकों जिनका अधिष्ठान स्वयं उनके स्तर पर सम्पादित किया जा रहा हो, का अनुश्रवण कड़ाई से सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(सुनील कुमार विद्यार्थी)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

क्रमशः.....2/–

संख्या : 4834 (1) मा0सं0–01 / वि0उ0नि0लि0 / 2012–तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के स्टाफ आफिसर।

2– निदेशक (कार्मिक / वित्त), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।

3– सलाहकार (तकनीकी), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

4– मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

5– मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी / 46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 को निगम की वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु।

6– महाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

7– कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

8– सचिव, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

9– उप महाप्रबन्धक / अधीक्षण अभियन्ता, (मा0सं0–01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06) / रिफॉर्म / टाण्डा बाइंडिग सेल एवं संसदीय कार्य / चिकित्सा / औ0सं0 / प्रशिक्षण / उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

10– समस्त उप सचिव / अनु सचिव / अनुभाग अधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

11– सहायक अभियन्ता (डाटा बेस), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

12– कट फाईल।

आज्ञा से,

17/12/2012

(सुनील कुमार विद्यार्थी)

मुख्य अभियन्ता (मा0सं0)

D:\AMIT\AMIT\letter Forword.doc

फैक्स नं0. 0522–2286643
☎ नं0. 0522–2287701

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
14-ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW – 226001

पत्र सं0: 6031–मा0सं0प्र0–02/उनिलि/2012– 8–मा0सं0प्र0–02/2012 — दिनांक: 29 सितम्बर, 2012

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 (उ0प्र0 शासन की विज्ञप्ति सं0: 2367/II–01–118–54, दिनांक 21.07.1956 सपठित विज्ञप्ति सं0: 1315/98 टी0सी0–का–1/1998, दिनांक 17.10.1998) के परिप्रेक्ष्य में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0: 96–विनियम एवं औस/पाकालि/10–6–विनियम/98 दिनांक 20–08–2010 को निदेशक मण्डल की दिनांक 14.09.2012 को सम्पन्न हुई 152वीं बैठक में उक्त नियमावली 1956 के निगम 24(3) के प्राविधान स्तम्भ–1 को उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों पर प्रभावी करने के लिए स्तम्भ–2 में अंकित प्राविधान से एतद्द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
24(3): प्रथम नियुक्ति के समय और तदुपरान्त हर पांच वर्ष की अवधि बीतने पर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, सामान्य मार्ग के माध्यम से नियुक्त करने वाले प्राधिकारी को, ऐसी सभी अचल सम्पत्ति की घोषणा करेगा जिसका वह स्वयं स्वामी हो, जिसे उसने खुद अर्जित किया हो या जिसे उसने दान के रूप में पाया हो या जिसे वह पट्टा या रेहन पर रखे हों, ऐसे हिस्से को या अन्य लगी हुई पूँजियों की घोषणा करेगा, जिन्हें वह समय–समय पर रखे या अर्जित करेगा या उसकी पत्नी या उसके साथ रहने वाले या किसी प्रकार भी उस पर आश्रित उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा रखी गयी हो। इस घोषणाओं में सम्पत्ति, हिस्सों और अन्य लगी हुई पूँजियों के पूरे व्योरे दिये जाने चाहिए।	उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपनी (पति/पत्नी या नावालिग बच्चों के नाम दर्ज सम्पत्ति सम्मिलित करते हुए) चल/अचल सम्पत्ति, उसके प्राप्त होने की तिथि, उसका माध्यम, अनुमानित लागत, आय का स्त्रोत आदि का विवरण अपनी प्रथम नियुक्ति एवं उसके पश्चात प्रत्यके वर्ष (01 जनवरी से 30 जनवरी के बीच)अपने नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

उपरोक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगें।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

<u>सं0: 6031 –(1)–मा0सं0प्र0–02/उनिलि/2012, तद्दिनांक :</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव।।

(2) निदेशक(कार्मिक)/(तकनीकी)/(वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव।

(3) निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।

(4) मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II), अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर(अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)।

(5) मुख्य अभियन्ता, परियोजना नियोजन अनुश्रवण एवं प्रबन्धन इकाई/तापीय परिचालन, (मा0सं0)/(मा0सं0–02/03)/(कारपोरेट स्ट्रेटजी)/(ईंधन)/(सुरक्षा एवं पर्यावरण)/(जानपद)/(वाणिज्य)/(आर0एण्डएम0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।

(6) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।

(7) महाप्रबन्धक (लेखा/सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।

(8) कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।

(9) समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।

(10) अधीक्षण अभियन्ता(रिफार्म), कक्ष सं0: 906, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ को निगम की वेबसाइट <u>www.uprvunl.org</u> पर अपलोड करने हेतु ।

(11) सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।

(12) मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।

(13) समस्त उप सचिव/अधिशासी अभियन्ता/अनु सचिव/अनुभाग अधिकारी, मानव संसाधन इकाई, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।

(14) वरिष्ठ लेखा अधिकारी(प्रशासन)/लेखाधिकारी(वेतन एवं लेखा)/(पेंशन)/कार्मिक अधिकारी ,उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।

(15) कट फाइल ।

आज्ञा से,

(विनय प्रकाश कटियार)
उप महाप्रबन्धक(02)